A (2) IV 11/2014 Act-1882

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 064399

न्यास पत्र

स्टैम्प रु 750

हम कि जगदीश प्रसाद तिवारी पुत्र स्व.काली प्रसाद तिवारी ग्राम- मुडिला तिवारी, पोस्ट-कोटा मुकुंदपुर, तहसील-सदर,जिला-महराजगंज का हूँ | हम मुकिर समाज के आर्थिक,सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरंतर कार्य करते रहते हैं तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिंतन बना रहता है तथा हम मुकिर **'जगदीश तिवारी वेलफेयर ट्रस्ट'** के नाम से एक न्यास गठित करना चाहते हैं| हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शांति,आपसी सदभाव व विश्वास,सदाचार,शिक्षा,स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो| समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं,भोजन,शिक्षा व आवास की व्यवस्था हों तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान-प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय | समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा,साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाए रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाति, छुआ-छूत धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी बाधित न हो| जनहित में उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है |हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 5100/-(इक्यावन सौ रूपये)

जगदीश प्रसाद तिवारी

Shot on moto g54 5G
22 Mar 2024, 10:37 am

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 064398

का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे | हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबंध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहें हैं, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी |

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"जगदीश तिवारी वेलफेयर ट्रस्ट"** होगा जिसे न्यास पत्र में आगे **"न्यास"** अथवा **"ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है|
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का **कार्यालय** ग्राम- मुडिला तिवारी, पोस्ट-कोटा मुकुंदपुर, तहसील-सदर,जिला-महराजगंज में स्थित होगा | उक्त ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी |
3. यह कि हम मुकिर **"जगदीश तिवारी वेलफेयर ट्रस्ट"** के **'मुख्य ट्रस्टी'** होंगे | हम मुकिर ट्रस्ट के हित में कार्य करने हेतु कुछ योग्य व्यक्तियों को नामित करते हैं, इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा जिनकी कुल संख्या – 3 से कम तथा 7 से अधिक नही होगी |भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी | हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से **'न्यास मंडल / ट्रस्ट मंडल'** कहा जायेगा|

जगदीश प्रसाद तिवारी

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:37 am

(3)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 064397

ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :-

(i) श्री आलोक रंजन पुत्र श्री जगदीश प्रसाद तिवारी

(ii) श्रीमती मृणालिनी पत्नी श्री आलोक रंजन

(iii) श्री विवेक रंजन पुत्र श्री जगदीश तिवारी

(iv) श्रीमती स्वर्णलता पत्नी श्री विवेक रंजन

सभी निवासीगण- ग्राम- मुडिला तिवारी, पोस्ट-कोटा मुकुंदपुर, तहसील-सदर,जिला-महराजगंज

4.यह कि हम मुकिर द्वारा "जगदीश तिवारी वेलफेयर ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है,उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

(i) धार्मिक सदभाव हेतु धार्मिक स्थलों का निर्माण करना व उसका सुचारू रूप से देखभाल करना |

(ii) समाज के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक व शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना |

जगदीश प्रसाद तिवारी

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:37 am

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 064396

(iii) नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए देश के किसी क्षेत्र में भूमि व संसाधनों की व्यवस्था कर प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडियेट स्तर की शिक्षा के लिए सी.बी.एस.ई बोर्ड ,आई.सी.एस.ई बोर्ड, यू.पी.बोर्ड एवं अन्य समकक्ष बोर्ड पर आधारित स्कूल स्थापित करना एवं उसका संचालन करना | इनके तकनीकी शिक्षा हेतु टेक्निकल इंस्टीट्यूट व इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल शिक्षा हेतु मेडिकल कालेज, उच्च शिक्षा हेतु स्नातक, स्नातकोत्तर, शिक्षण-प्रशिक्षण, विधि महाविद्यालय स्थापित करना एवं उसका संचालन करना |

(iv) शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, रेलवे, पी.सी.एस, आई.ए.एस, आई.पी.एस में सफलता प्राप्त करने हेतु, तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था करना तथा उसमें होने वाली आय से संस्था का पोषण करना |

(v)संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है |

(vi)अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबंध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना |

(vii)समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे-गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के विद्यालय, छात्रावास, एवं भोजन, वस्त्र की नि:शुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि |बिना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि|

(viii) वृद्धों के लिए विश्राम केंद्र अथवा पुनर्वास केंद्र की स्थापना करना,जिसमें मनोरंजन पढने लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो|

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:37 am

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 064394

(ix) महिला संरक्षण गृह /विधवा पुनर्वास केंद्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना |

(x) सरकारी/अर्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्त्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना एवं वृक्षारोपण करना | औषधियों एवं जड़ी-बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लांट) (सौंदर्य उपयोगी पौधों) (फ्लोरी कल्चर) सुगंध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्त्व वाले पौधों का रोपण करना | सेहत एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना |

(xi) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतःरोजगार हेतु जन-जन तक पहुंचाना |

(xii) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि,मकान तथा वाहनों को खरीदना-बेचना,उन्हें किराये या लीज पर लेना, देना,मार्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि |

(xiii)बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान-मसाला, गांजा-भांग, स्मैक, एल.सी.डी या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बिमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना |

(xiv)लावारिस, असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेष कर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ-साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण,निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना |प्रतिबंधित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना |

(xv) किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन.जी.ओ.,एसोसियेशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया-कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों |

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:38 am

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत सत्यमेव जयते INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 867160

(xvi) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना | यथा डोनेशन, ग्रांट, गिफ्ट, चल, एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त करना |

(xvii)संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला / प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना |

(xviii) सरकारी, अर्द्ध-सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना |

5. <u>ट्रस्ट मंडल के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

(i)समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करना |

(ii) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना |

(iii) ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचार रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना |

(iv)ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु शुल्क, दान, चंदा प्राप्त करना तथा उनकी प्रबंध इकाइयां गठित करना |

(v)ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना |

[illegible] तिवारी

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:38 am

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 867161

(vi) ट्रस्ट द्वारा अर्जित की जाने वाली सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की संपति को नियमानुसार हस्तांतरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना |

(vii)ट्रस्ट के अधीन स्थापित होने वाली संस्थाओं व गठित होने वाली समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में विहित करना।

(viii) ट्रस्ट के अधीन भविष्य में स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों,शोध केन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना |

(ix) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित होने वाली संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी ,अर्द्ध-सरकारी,विभागों से दान,उपहार,अनुदान,ऋण एवं अन्य श्रोतों से धन व संपतियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना |

(x) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मंडल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना |

(xi) सी.बी.एस.ई.बोर्ड नई दिल्ली की परिनियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की संस्थाओं को स्थापित कर व मान्यता प्राप्त कर कक्षाओं का संचालित करना |

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:38 am

(८)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 864004

(xii) दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों / इंस्टीट्यूटस् की स्थापना करना |इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू प्रबंध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी / कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना |

(xiii)ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक / तकनीकी /गैर तकनीकी विद्यालयों व इंस्टीट्यूटस् की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी /परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना |

6. <u>ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था</u> :-

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालनः- ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जाएगा |

जगदीश प्रसाद तिवारी

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:38 am

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 864005

(i) ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हम मुकिर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा |मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा |यदि किन्ही परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा |

(ii) मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की दशा में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा |

(iii) ट्रस्ट मंडल के सदस्यों में से ट्रेस्टीगण को ट्रस्ट सुचारू प्रबंध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्ति किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा| ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी |यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना संभव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों की नियुक्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा मनोनयन के आधार पर किया जायेगा | मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अंतिम होगा |

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:39 am

(90)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 864006

(iv) ट्रस्ट मंडल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्त की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

(v) ट्रस्ट मंडल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मंडल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मंडल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(vi) ट्रस्ट मंडल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(vii) ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये किसी प्रकार के प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धिंत बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित होगा।

मनोहर प्रसाद तिवारी

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:39 am

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 867162

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

(i) ट्रस्ट मंडल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी | उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित होने वाले सभी संस्थाओं /समितियों के प्रबंधक /सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे |वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा |वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी |कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हों सकता है |

(ii) वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा | विचारोपरांत बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मंडल का फैसला अंतिम होगा |

<u>7. मुख्य ट्रस्टी/ प्रधान प्रबंधन के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

(i) इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा भविष्य में संचालित संस्थाओं एवं स्कूलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना |

(ii) ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों का नियमन करना |

Shot on moto g54 5G
22 Mar 2024, 10:39 am

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 864009

(93)

8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था :-

ट्रस्ट के कोष के सुचारु रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत / मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋणराशियां निहित होंगी,ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा |

9. ट्रस्ट के अभिलेख :-

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने /कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा |मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा |

10. ट्रस्ट के सम्पति की व्यवस्था :-

ट्रस्ट के सम्पति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी :-

(i) यह कि ट्रस्ट मंडल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियो, वितीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढाया जा सकेगा |इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे |

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:39 am

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 867354

(iii) ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना / कराना ।

(iv) ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उनकी सूचना ट्रस्ट मंडल के सदस्यों को देना ।

(v) ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।

(vi) भविष्य में अर्जित की जाने वाली ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना ।

(vii) ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना ।

(viii) इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना ।

(ix) ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना ।

(x) ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना / कराना ।

(xi) ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना ।

[illegible]

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:39 am

(98)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 867164

(ii)यह कि मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट की तरफ से स्थापित होने वाली संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने कि लिए भूमि एवं भवन दान ले सकेंगे या क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे |ट्रस्ट मंडल या मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा |

(iii)यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दंडित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी का होगा |

(iv)ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित होने वाली किसी भी संस्था व स्कूल में प्रबंधकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हों सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या स्कूल का प्रबंधन व उसकी संपत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी |

(v)ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी |

(vi)ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी |

जगदीश प्रसाद त्रिपाठी

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:40 am

(१५)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 867163

(vii)ट्रस्ट के अधीन स्थापित होने वाली संस्थाओं एवं गठित होने वाली समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति,उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मंडल के अधीन होगा |ट्रस्ट मंडल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा |

(viii)ट्रस्ट मंडल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो|

(ix) इस ट्रस्ट विलेख द्वारा जो भी चल या अचल सम्पत्ति अर्जित की जायेगी, उसका एवं जिस न्याय कोष से ट्रस्ट स्थापित किया जा रहा है उसका प्रयोग इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाएगा |

(x) इस ट्रस्ट द्वारा वर्तमान में किसी सम्पत्ति का अंतरण नहीं किया जा रहा है |

घोषणा

"जगदीश तिवारी वेलफेयर ट्रस्ट" की तरफ से हम जगदीश प्रसाद तिवारी पुत्र स्व.श्री काली प्रसाद तिवारी ग्राम- मुडिला तिवारी, पोस्ट-कोटा मुकुंदपुर, तहसील-सदर,जिला-महराजगंज मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास-पत्र लिखवाकर पढ व संमझकर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझकर निबंधन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि ट्रस्ट का विधिवत गठन हो सके |

जगदीश प्रसाद तिवारी — लिखित दिनांक १६.५.२०१४

द: M

ग Harish Tripathi
S/O Vinay Tiwari
Vill- Mudila Tiwari
Post - Kotamukundpur
Tahsil - Sadar (Maharajganj)

ग अनिल कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामप्यारे लाल श्रीवास्तव
ग्राम-चौनपुर टोला ... त० सदर, महराजगंज

लेखक:- रवीश चन्द श्रीवास्तव एडवोकेट
कलेक्ट्रेट महराजगंज

(रवीश चन्द श्रीवास्तव
एडवो०
कलक्ट्रेट - महराजगंज)

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:40 am

9

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 272947

कार्यान्वयन में नियुक्ति

स्टाम्प मु० 100/ रू

हम कि आलोक रंजन पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम मुडिला तिवारी पोस्ट कोटा मुकुंदपुर तहसील सदर, जनपद महराजगंज हाल मुकाम सरोजिनी नगर वार्ड नंबर 20नगरपालिका परिषद महराजगंज, जनपद महराजगंज क़ा हूँ, तथा 'जगदीश तिवारी वेलफेयर ट्रस्ट' ग्राम मुडिला तिवारी

Alok Ranjan मृणालिनी

Shot on moto g54 5G
22 Mar 2024, 10:40 am

पोस्ट कोटा मुकुंदपुर तहसील सदर, जनपद महराजगंज का ट्रस्टी हूँ। उक्त ट्रस्ट का पंजीकरण उपनिबंधक सदर महराजगंज के कार्यालय में

दिनांक 17/05/2014 को वही संख्या 4 जिल्द संख्या 9 पृष्ठ संख्या 261 लगायत 290 पर क्रमांक 11 पर पंजीकृत है।

'जगदीश तिवारी वेलफेयर ट्रस्ट' के संस्थापित मुख्य ट्रस्टी जगदीश प्रसाद तिवारी पुत्र स्व० काली प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम मुडिला तिवारी पोस्ट कोटा मुकुंदपुर तहसील सदर, जनपद महराजगंज हाल मुकाम सरोजिंनी नगर वार्ड नंबर 20 नगरपालिका परिषद महराजगंज, जनपद महराजगंज स्वंय थे, जिनकी मृत्यु

Alok Ranjan मृणालिनी

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:41 am

ृतिक अनुक्रम में दिनांक 16/05/2021 को हो चुकी है |

मुख्य न्यास विलेख दिनांक 17/05/2014 के बाईलाज के क्रमांक (6) (क) (i) में यह व्यवस्था दिया गया है कि यदि मुख्य ट्रस्टी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किये बगैर मर जाता है तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा |

उक्त के क्रम में ही दिनांक 18/05/2021 को आकस्मिक बैठक बुलायी गई, जिसमें सर्वसम्मति से **श्रीमती मृणालिनी पत्नी आलोक**

Alok Ranjan मृणालिनी

Shot on moto g54 5G
22 Mar 2024, 10:41 am

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

आधार

E-Aadhaar Letter

नामांकन क्रमांक/Enrolment No.: 2020/56026/00480

Date: 04/01/2015

Alok Ranjan (आलोक रंजन)
S/O: Jagadish Tiwari, SAROJANI NAGAR,
NAGAR/PALIKA/PARISHAD/MAHARAJGANJ,
SAROJANI NAGAR, ward NO 20, Maharajganj,
Maharajganj,
Uttar Pradesh - 273303

आपका आधार क्रमांक/ Your Aadhaar No.:

7948 9234 0235

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेन्टिकेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

Validity unknown
Digitally signed by Sandeep Bhardwaj
Date: 2015.01.04 17:55:30 IST

आधार-आम आदमी का अधिकार

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार के लिए आपको एक ही बार नामांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है।
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज कराएं, इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

- Aadhaar is valid throughout the country.
- You need to enrol only once for Aadhaar.
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आलोक रंजन
Alok Ranjan
जन्म तिथि/ DOB: 25/02/1980
पुरुष / MALE

7948 9234 0235

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O: जगदीश तिवारी, सरोजनी नगर, नगर/पालिका/परिषद/महराजगंज, सरोजनी नगर, वॉर्ड न 20, महाराजगंज, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश - 273303

Address:
S/O: Jagadish Tiwari, SAROJANI NAGAR, NAGAR/PALIKA/PARISHAD/MAHARAJGANJ, SAROJANI NAGAR, ward NO 20, Maharajganj, Maharajganj, Uttar Pradesh - 273303

7948 9234 0235

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Alok Ranjan
9450472477

Shot on moto g54 5G
22 Mar 2024, 10:41 am

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

आधार

E-Aadhaar Letter

नामांकन क्रमांक/Enrolment No.: 2020/56026/00478

Date: 04/01/2015

Mrinalini Devi (मृणालिनी देवी)
W/O: Alok Ranjan, SAROJANI NAGAR,
NAGAR/PALIKA/PARISHAD/MAHARAJGANJ,
SAROJANI NAGAR, ward NO 20, Maharajganj,
Maharajganj,
Uttar Pradesh - 273303

आपका आधार क्रमांक/ Your Aadhaar No.:

2914 5645 4574

आधार-आम आदमी का अधिकार

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेन्टिकेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

Validity unknown
Digitally signed by Pradeep Bhardwaj
Date: 2015.01.04 12:12:00 IST

- आधार देश भर में मान्य है.
- आधार के लिए आपको एक ही बार नामांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है.
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज कराएं. इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहूलियत होगी.

- Aadhaar is valid throughout the country.
- You need to enrol only once for Aadhaar.
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

मृणालिनी देवी
Mrinalini Devi
जन्म तिथि/ DOB: 29/03/1982
महिला / FEMALE

2914 5645 4574

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
W/O: आलोक रंजन, सरोजनी नगर, नगर/पालिका/परिषद/महराजगंज, सरोजनी नगर, वॉर्ड न 20, महाराजगंज, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश - 273303

Address:
W/O: Alok Ranjan, SAROJANI NAGAR, NAGAR/PALIKA/PARISHAD/MAHARAJGANJ, SAROJANI NAGAR, ward NO 20, Maharajganj, Maharajganj, Uttar Pradesh - 273303

2914 5645 4574

आधार-आम आदमी का अधिकार   Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

9838512931   मृणालिनी

Shot on moto g54 5G   22 Mar 2024, 10:41 am

[redacted]

आधार

मनीष त्रिपाठी
Manish Tripathi
जन्म तिथि/DOB: 15/07/1996
पुरुष/ MALE

5312 8292 2080

VID : 9141 2308 7837 3923

मेरा आधार, मेरी पहचान

[redacted]

Download Date: 15/01/2022

पता:
द्वारा: विनय तिवारी, नेहरू नगर, वॉर्ड न 01, नगर पालिका परिषद, महाराजगंज, महाराजगंज,
उत्तर प्रदेश - 273303

Address:
C/O: Vinay Tiwari, Nehru Nagar, Ward No 01,
Nagar Palika Parishad, Maharajganj,
Maharajganj,
Uttar Pradesh - 273303

5312 8292 2080

VID : 9141 2308 7837 3923

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

मनीष त्रिपाठी

6393969790

भारत सरकार
Government of India

बृज किशोर त्रिपाठी
Brij Kishore Tripathi
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1971
पुरुष / Male

3491 6024 4999

आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

पता: S/O सतोष त्रिपाठी, एन पी पी महराजगज, सुभाष नगर, वार्ड न-9, महराजगज, महाराजगज, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, 273303

Address: S/O Santosh Tripathi, n p p MAHRAJGANJ, subhash nagar, ward no-9, Mahrajganj, Maharajganj, Maharajganj, Uttar Pradesh, 273303

3491 6024 4999

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

बृज किशोर त्रिपाठी

8874127422

Shot on moto g54 5G
22 Mar 2024, 10:42 am

...जन निवासी ग्राम मुडिला तिवारी पोस्ट कोटा मुकुंदपुर तहसील सदर, जनपद महराजगंज

हाल मुकाम सरोजिनी नगर वार्ड नंबर 20 नगरपालिका परिषद महराजगंज, जनपद महराजगंज को मुख्य ट्रस्टी के तौर पर निर्वाचित घोषित किया गया तथा हम मुकिर जो कि उपरोक्त ट्रस्ट का सामान्य ट्रस्टी हूँ को आगे की विधिक कार्यवाही तथा निबंधन कार्य इत्यादि को निष्पादित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है |

इस प्रकार 'जगदीश तिवारी वेलफेयर ट्रस्ट' के ट्रस्टियों द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 18/05/2021 के क्रम में **श्रीमती मृणालिनी पत्नी आलोक रंजन निवासी ग्राम मुडिला तिवारी**

Alok Ranjan

मृणालिनी

Shot on moto g54 5G

22 Mar 2024, 10:42 am

5

पोस्ट कोटा मुकुंदपुर तहसील सदर, जनपद महराजगंज

हाल मुकाम सरोजिनी नगर वार्ड नंबर 20 नगरपालिका परिषद महराजगंज, जनपद महराजगंज को उपरोक्त ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है |

यह दस्तावेज कार्यान्यवन में नियुक्ति विलेख, मुख्य न्यास विलेख दिनांक 17/05/2014 का अंश होगा | यह पूरक न्यास विलेख खूब सोच व समझकर तथा पढ़ व पढ़वाकर एवं सुनकर लिख दिया गया की वक्त पर काम आवे, प्रमाण रहे |

मृणालिनी

Alok Ranjan

22 Mar 2024, 10:42 am
Shot on moto g54 5G

मुकिर

Alok Ranjan

नवनियुक्त मुख्य ट्रस्टी

मृणालिनी

गवाह

मनीष त्रिपाठी S/o विनय तिवारी
नेहरू नगर वार्ड-1 न०पा०
प० महराजगंज
6393969790

गवाह

बृज किशोर त्रिपाठी
पुत्र स्व० सन्तोष त्रिपाठी
मु०-सुभाष नगर, न०पा०प०-
महराजगंज
8874127422

ता० तहरीर 20-06-2023

O.P. Mishra Adv. मजमूनकर्ता
ओमप्रकाश मिश्र एडवोकेट
चैंबर नंबर 20

Shot on moto g54 5G
22 Mar 2024, 10:42 am